रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 473(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, किशोर बालिका स्कीम का प्रशासन कर रहा है जिसका उद्देश्य किशोर बालिकाओं (सभी विद्यालय न जाने वाली किशोर बालिकाओं पर फोकस सहित) का सर्वांगीण विकास है और इसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इस स्कीम के दो मुख्य संघटक हैं: पोषण और गैर पोषण संघटक । स्कीम के पोषण संघटक के अधीन किशोर बालिकाओं को एक वर्ष में तीन सौ दिनों के लिए 600 कैलोरी, 18-20 प्रोटीन और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व वाला संपूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है । यह पोषण राशन घर ले जाओ (टीएचआर) या गर्म पका हुआ खाना के रूप में दिया जाता है । गैर पोषक संघटक के अधीन, 11-18 वर्ष की आयु की विद्यालय न जाने वाली किशोर बालिकाओं को आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य, जांच और रेफरल सेवाएं पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, अर्श, परामर्श और परिवार कल्याण संबंधी मार्गदर्शन जीवन कौशल शिक्षा, लोक सेवाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 वर्ष की किशोर बालिकाएं) तक पहुंच संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है । इसका उद्देश्य विद्यालय प्रणाली के लिए विद्यालय से बाहर की बालिकाओं को मुख्य प्रवाह में लाना भी है ;

और किशोर बालिका स्कीम भारत की संचित निधि में से आवर्ती व्यय उपगत करती है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) किशोर बालिका स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) किशोर बालिका स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम, 12 के अनुसार किशोर बालिका स्कीम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विकास विभाग, जो किसी फायदाग्राही से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां किशोर बालिका स्कीम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग के स्थानीय प्राधिकारी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, किशोर बालिका स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) राशन कार्ड; या (iii)) पासपोर्ट; या (iv) पेन कार्ड; या (v) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र; या (vi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या (vii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

(ग) एक ऐसा वचन कि वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र से कोई किशोर बालिका स्कीम के अधीन फायदों का लाभ नहीं ले रही है ।

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, किशोर बालिका स्कीम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से किशोर बालिका स्कीम के फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी ।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं किशोर बालिका स्कीम का कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकार राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें

और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी केन्द्र आदि के पास पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 11012-108/2016-एस ए बी एल ए]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 473(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Scheme for Adolescent Girls aiming at all-round development of adolescent girls (with a focus on all out-of-school adolescent girls) and is being implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the network of Anganwadi Centres under the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme. The scheme has two major components: Nutrition and Non Nutrition Component. Under the Nutrition component of the scheme, the Adolescent Girls are provided Supplementary Nutrition containing 600 calories, 18-20 grams of protein and micronutrients, per day for 300 days in a year. The Nutrition is given in the form of Take Home Ration (THR) or Hot Cooked Meals. Under the Non Nutrition Component, out of school Adolescent Girls of 11-18 years age are being provided IFA supplementation, Health check-up and Referral services, Nutrition and Health Education, ARSH, counselling and Guidance on family welfare, Life Skill Education, Guidance on accessing public services and Vocational Training (only 16-18 year old adolescent girls). It also aims at mainstreaming out of school girls to school system;

And whereas, the Scheme for Adolescent Girls incurs recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Individuals desirous of availing the benefits under Scheme for Adolescent Girls are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under Scheme for Adolescent Girls, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017 provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing Scheme for Adolescent Girls which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the local authorities of the

Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing Scheme for Adolescent Girls may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual, benefits under the Scheme for Adolescent Girls shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) PAN Card; or (v) Photo Identity Card issued by State Government or Union Territory Administration; or (vi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (vii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration; and

(c) an undertaking that she is not availing benefits under the Scheme for Adolescent Girls from any other Anganwadi Centre:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Women and Child Development Department in the State Government or Union Territory Administration in charge of implementing the Scheme for Adolescent Girls, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centers and individual notices shall be given to the beneficiaries of the Scheme for Adolescent Girls to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the States or Union Territory Administrations in charge of implementing Scheme for Adolescent Girls is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Officer or Anganwadi Centre, etc.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 11012-108/2016-Sabla]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.20 11:41:46 +05'30'